

23/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलवारी अनुपास्थित
भतिवादी रामनारायण उपास्थित। वादी
अनुपास्थित। भतिवादी वकील उपा

म. नि. 2/11/22

काल पत्रावली वान्ते कठिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 25/3/22
आपेश हो

उपखण्ड अधिकारी
रेणी जिला-अलवर

25/3/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील
अनुपास्थित। भतिवादी एवं भतिवादी
वकील अनुपास्थित। न्यायालय में बार-
बार आवाज लगाने के बावजूद भी
वक्तूम एवं पक्षकारन में से कोई
उपास्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम
दाजरी एवं अदम फेंची में खारिज
किया जा रहा है। पत्रावली अदम फेंची में
प्राप्त शमार होकर बहिष्कृत से जम
नी जावे। अदम फेंची वार्षिक दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
रेणी जिला-अलवर